न्यायालयः—आशीष दवंडे, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरसूद, जिला,खण्डवा

नियमित जमानत आवेदन क्र0 BA/99/2022
अपराध क्र0 376/2022
थाना हरसूद जिला खण्डवा

1. नीरज पिता मोनू चाकरडे, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम बोथियाखुर्द तहसील हरसूद जिला खंडवा (म0प्र0)
2. हिमांशु पिता रमेश मांडले उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम खालवा तहसील खालवा जिला खंडवा (म0प्र0)

...................आवेदकगण/अभियुक्तगण

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन द्वारा आरक्षी केंद्र, हरसूद जिला खण्डवा (म0प्र0)

...................अनावेदक/अभियोजन

(सत्यप्रतिलिपि आदेश पत्रिका दिनांक 20.10.2022)

20.10.2022 अनावेदक/राज्य की ओर से श्री अनिल चौहान सहायक लोक अभियोजक उपस्थित।

आरोपीगण अभिरक्षा में है उनकी ओर से महेन्द्र अग्रवाल अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण केस डायरी प्राप्ति एवं अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. के जवाब व तर्क हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र हरसूद, जिला खंडवा के अपराध क्रमांक 376/2022 धारा 354, 354क, 294, 34 भा0दं0वि0 एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

संबधित प्रकरण की रिमांड पत्रावली पेश की गई।

प्रकरण जमानत आवेदन पर विचार हेतु प्रस्तुत हुआ।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क प्रारंभ किये। तर्क के प्रारभिंक स्तर पर आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा अनुसंधान के अपूर्ण प्रक्रम पर देखते हुए आवेदन पर अभी बल ना देना व्यक्त किया।

अभिस्वीकृति हासिये में लेख की गई । अतः बल ना दिये जाने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है ।

आदेश की सत्यप्रतिलिपि सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस की जाकर पावती ली जावे।

जमानत प्रकरण का परिणाम विधिवत सी.आई.एस. पंजी में दर्ज कर आदेश को अपलोड किया जाकर, आदेश पत्रिका मय प्रपत्र तहसील न्यायालय हरसूद के अभिलेखागार में संचित किया जावे।

ASHISH DAWANDE

Digitally signed by ASHISH DAWANDE
Date: 2022.10.20 18:44:33 +0530

(आशीष दवंड़े)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
हरसूद,जिला खंडवा